

व्यवहार न्यायालय, हजारीबाग

विज्ञापन सं० : 01 / 2025

- 1. व्यवहार न्यायालय, हजारीबाग में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित पत्र मे स्वहस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।
- 2. रिक्तियों की विवरणी निम्नांकित है:—

क्रम संख्या	पदनाम	(रिक्त पदों की संख्या श्रेणी अनुसार)						
		सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	कुल रिक्त पद
1.	पियून / आदेशपाल	08	03	00	02	04	01	18
2.	चालक	01	00	00	00	00	00	1

- 3. शैक्षणिक योग्यता एवं वेतनमान :— पदों की शैक्षणिक योग्यता एवं वेतनमान निम्न है:—

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	योग्यता	भर्ती का तरीका
1.	पियून / आदेशपाल	18,000 – 56,900 / – लेवल-1	मैट्रिक अथवा समकक्ष	स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती।
2.	चालक	19,900 – 63,200 / – लेवल-2	मैट्रिक अथवा समकक्ष तथा हल्के मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ।	ड्राइविंग नियमों में वर्णित स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर सीधी भर्ती।

- 4. उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मानसिक, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो एवं किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछित या सजा यापत्ता न हो तथा विवाहित होने की स्थिति में उनका एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न हो।
- 5. अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग (PwBD) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा मान्य एवं निर्धारित अद्यतन आरक्षण नियम लागू होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार का आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।
- 6. सरकारी नियमानुसार पद आरक्षित है। महिला, दिव्यांग एवं खेल-कूद कोटा के संदर्भ में नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण का लाभ मान्य होगा।
- 7. उपरोक्त पदों पर उम्मीदवारों की उम्र सीमा दिनांक 01/08/2025 को कम से कम 18 वर्ष तथा सामान्य जाति के लिए अधिकतम 35 वर्ष, पिछड़ी जाति/अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए अधिकतम 37 वर्ष, महिलाओं के लिए अधिकतम 38 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/जनजाति (पुरुष/महिला) के लिए अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। (उम्मीदवार की उम्र सीमा एवं आरक्षण की सुविधा झारखण्ड राज्य द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुसार होगी तथा आवेदक की सेवा शर्त व्यवहार न्यायालय नियमावली के अनुसार होगी।)
- 8. अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं आरक्षित वर्ग के आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें।
- 9. उम्मीदवार अपना स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक **23.09.2025** के अंदर तक स्वयं या निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा कार्य दिवस को प्रातः 10.30 बजे से शाम 05.00 बजे तक जमा कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

10. आवेदक, आवेदन पत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ संलग्न करें, जिसमें एक आवेदन पत्र पर, दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा रहना चाहिए एवं तीसरा अतिरिक्त होगा। स्व पता लिखा लिफाफा 25 से.मी. x 11 से.मी. (प्रवेश पत्र पर निर्गत करने हेतु) जिसपर 40/- रुपये का डाक टिकट सटा हुआ हो, आवेदन-पत्र के साथ संलग्न हो।
11. महत्वपूर्ण निर्देश :-
- I. आवेदन-पत्र के प्रपत्र 'क' एवं 'ख' के प्रारूप को पृथक पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करें। प्रपत्र 'क' के प्रारूप को हिंदी में भरें जो स्वहस्तलिखित एवं स्वहस्ताक्षरित हो। आवेदक प्रपत्र 'ख' को स्वहस्तलिखित प्रति में आवेदन के साथ संलग्न करें। प्रपत्र 'ख' की कंडिका 4 एवं 5 को छोड़कर अन्य कण्डिकाएँ आवेदक स्वयं भरें। आवेदन पत्र का प्रारूप व्यवहार न्यायालय, हजारीबाग की वेबसाइट <https://hazaribag.dcourts.gov.in/> से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
 - II. आवेदकों को व्यवहार न्यायालय, हजारीबाग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
 - III. उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।
 - IV. उपरोक्त वांछित सूचनाएँ किसी प्रकार से अपूर्ण होने पर अथवा वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं रहने पर उम्मीदवार का आवेदन किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा और तत्संबंधी किसी भी प्रकार का पत्राचार अमान्य होगा।
 - V. आवेदक का प्रवेश पत्र, जिसमें परीक्षा/साक्षात्कार का स्थान एवं तिथि अंकित होगा, उनके दर्शाये गये पते पर डाक द्वारा भेजा जायेगा।
 - VI. उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी रूप से प्रभावित करने के प्रयास को उनकी अयोग्यता मानते हुए उनकी अभ्यर्थिता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी।
 - VII. लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी बड़े-बड़े एवं साफ अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक है।
 - VIII. वर्तमान विज्ञापन में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा निरस्तीकरण का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
 - IX. परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने पर कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
 - X. उपरोक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है।
 - XI. आवेदन भेजने का पता (निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ)

सेवा में,
प्रभारी न्यायाधीश,
व्यवहार न्यायालय, हजारीबाग।

ह0/-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
व्यवहार न्यायालय, हजारीबाग।